प्रपत्र सं०–562

# न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख 15-06-19 से 07.09.2020 तक

जिला–..........राँची....., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–08 सन्–2019–20।

वाद का प्रकार–....................दाखिल खारिज अपील..........।

अर्जीकार–कमला देवी बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू राँची।

| | आदेश | |
|---|---|---|
| 07.09.2020 | प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–कमला देवी ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–196 R27/2018-19/बुण्डू में दिनांक–06/01/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। | |

भूमि विवरणी

| मौजा | थाना | थाना सं० | खाता सं० | खेसरा सं० | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| बुण्डू | बुण्डू | 0028 | 38 | 2669 | 08 डिसमील |

चौहदीः–उ०–14 फीट चौड़ा रास्ता, द०–नीज, पू०–नीज, प०–10 फीट प्रस्तावित रास्ता।

सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में उल्लेख किए हैं कि दिनांक–13/08/2018 को कमला देवी ने तारा प्रसन्न दत्ता से उक्त खाता नं०–38, प्लॉट नं०–2669 की 8 डिसमील जमीन खरीदा था जिसका निबंधन कार्यालय राँची में हुआ था जिसका दस्तावेज सं०–6896, सिरियल नं०–7662 वर्ष 2018 दर्ज है। खरीदगी के पश्चात उनका शांतिपूर्वक दखल चला आ रहा है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि कथित भूमि पर अपीलार्थी का दखल–कब्जा है। बावजूद इसके अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा दखल–कब्जा अस्पष्ट है का कारण स्पष्ट कर नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–196 R27/2018-19/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि पर दखल–कब्जा अस्पष्ट है। अतः इस स्थिति में अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा परित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (**REMAND**) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर आवेदित भूमि का भौतिक सत्यापन कि पश्चात दाखिल खारिज हेतु विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह॰ 07/09 ह॰ 07/09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।